<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35/2024 **दायर दिनांकः 17.12.2024**

उनवान

1. जितेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. मान सिंह जाति राजपूत निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) 9587090611
2. भंवर बाई आयु 57 वर्ष पुत्री मानसिंह पत्नी चतर सिंह जाति राजपूत निवासी हाल मांगरोल तह. मांगरोल जिला बारां (राज.)
3. सुगन बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मान सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी हाल झाडोता तह. अटरू जिला बारां (राज.)
4. बृजेश बाई आयु 50 वर्ष पुत्री मान सिंह पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी हाल रेन्स कॉलोनी कोटा (राज.)
5. किरण बाई आयु 46 वर्ष पुत्री मान सिंह पत्नी जितेन्द्र सिंह जादोन जाति राजपूत निवासी हाल राजनगर कोटा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 29.01.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम/माल बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 684 का खसरा न. 554 का रकबा 0.35 है0, खसरा न. 555 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 562 का रकबा 0.01 है0, खसरा न. 563 का रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.47 है0 आराजी प्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ

संलग्न है, जो काबिल गौर है। वाके ग्राम/माल बडोरा तह. अटरू की खाता संख्या 192 का खसरा न. 2936/554 का रकबा 2.12 है0, ख.न. 2937/555 का रकबा 0.10 है0, ख.न. 2938/559 का रकबा 0.19 है0, खसरा न. 2939/562 का रकबा 0.06 है0, खसरा न. 2940/563 का रकबा 0.51 है0, खसरा न. 2941/568 का रकबा 0.31 है0, खसरा न. 560 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.31 है0 आराजी प्रार्थी क्रम 1 व उसकी माँ चन्दा बाई के दर्ज खाता चली आ रही है। खातेदार चन्दा बाई का स्वर्गवास हो चूका है परन्तु जमाबन्दी में अभी इन्तकाल नहीं खुला है। खातेदार चन्दा बाई के वारिसान प्रार्थीगण है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा खसरा नंबर का रकबा तो सही अंकित कर दिया परन्तु नक्शा ट्रेस में नक़्शे की तरमीम सही से नहीं की और छोटे रकबे के खसरे को राजस्व रिकॉर्ड में आकार में बड़ा दर्शा दिया और बड़े रकबे के खसरे को आकार में छोटा दर्शा दिया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

खसरा न. 554 का रकबा 0.35 है0 (छोटा रकबा है जिसे बड़ा दर्शाया है)

खसरा न. 555 का रकबा 0.02 है0 (छोटा रकबा है जिसे बड़ा दर्शाया है)

खसरा न. 562 का रकबा 0.01 है0 (छोटा रकबा है जिसे बड़ा दर्शाया है)

खसरा न. 563 का रकबा 0.09 है0 (छोटा रकबा है जिसे बड़ा दर्शाया है)

इसी प्रकार –

ख.न. 2936/554 का रकबा 2.12 है0 (बड़ा रकवा है जिसे छोटा दर्शाया है)

ख.न. 2937/555 का रकबा 0.10 है0 (बड़ा रकबा है जिसे छोटा दर्शाया है)

ख.न. 2939/562 का रकबा 0.06 है0 (बड़ा रकबा है जिसे छोटा दर्शाया है)

ख.न. 2940/563 का रकबा 0.51 है0 (बड़ा रकबा है जिसे छोटा दर्शाया है)

प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नक़्शे की तरमीम सही व आकार [illegible] करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे [illegible] नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से नक्शे की तरमीम सही से नहीं करने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रकबे का व खसरे का आकार भिन्न–भिन्न होने से प्रार्थीगण कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजीयात ग्राम/माल बडोरा तहसील अटरु जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है । अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में हो रही त्रुटि को प्रार्थना पत्र की मद न. 3 के अनुसार सही करके उनके वास्तविक आकार के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक़्शे की तरमीम सही से इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/151 दिनांक 15.01.2025 से रिपोर्ट भिजवायी गई। तहसीलदार अटरू द्वारा कथन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के यहां प्रकरण संख्या 139/10 उनवान दुर्गेश कंवर बनाम चन्द्र कंवर निर्णय दिनांक 03.08.2016 एवं निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरण संख्या 1189 के तहत ग्राम एवं माल बडौरा के ख0नं0 554, 555, 562, 563 का विभाजन हुआ था। न्यायालय के निर्णय अनुसारः–

1. ख0नं0 554 का रकबा 0.35 है0 दिशा पश्चिम (2936/554) रकबा 2.12 है0 दिशा पूर्व
2. ख0नं0 555 रकबा 0.02 है0 दिशा पूर्व (2937/555) रकबा 0.10 है0 दिशा पश्चिम
3. ख0नं0 562 का रकबा 0.01 है0 दिशा पूर्व (2939/562) रकबा 0.06 है0 दिशा पश्चिम
4. ख0नं0 563 का रकबा 0.09 है0 दिशा पश्चिम (2940/563) रकबा 0.51 है0 दिशा पूर्व

राजस्व रिकार्ड लट्ठा व सीट में दर्ज सही रकबा निर्णय अनुसार ही है लेकिन जमाबन्दी (नकल) में रकबा गलत अंकित है। इसी प्रकार तहसीलदार अटरू द्वारा तरमीम में हुई गलती को स्वीकार किया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहसी सूनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बडौरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 684, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बडौरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 192, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 554, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 555, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 562, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 563, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 2937/554,, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 2937/555, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 2939/562, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडौरा ख0नं0 2940/563 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2025 एवं प्रकरण संख्या 139/2010 में जारी डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 111, 131 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 684 का खसरा न. 554 का रकबा 0.35 है0, खसरा न. 555 का रकबा 0.02 है0, खसरा न. 562 का रकबा 0.01 है0, खसरा न. 563 का रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.47 है0 व विवादित आराजी ग्राम बडोरा तह. अटरू की खाता संख्या 192 का खसरा न. 2936/554 का रकबा 2.12 है0, ख.न. 2937/555 का रकबा 0.10 है0, ख.न. 2938/559 का रकबा 0.19 है0, खसरा न. 2939/562 का रकबा 0.06 है0, खसरा न. 2940/563 का रकबा 0. 51 है0, खसरा न. 2941/568 का रकबा 0.31 है0, खसरा न. 560 का रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.31 है0 आराजी का निम्नानुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान स्थिति (Table no 1)

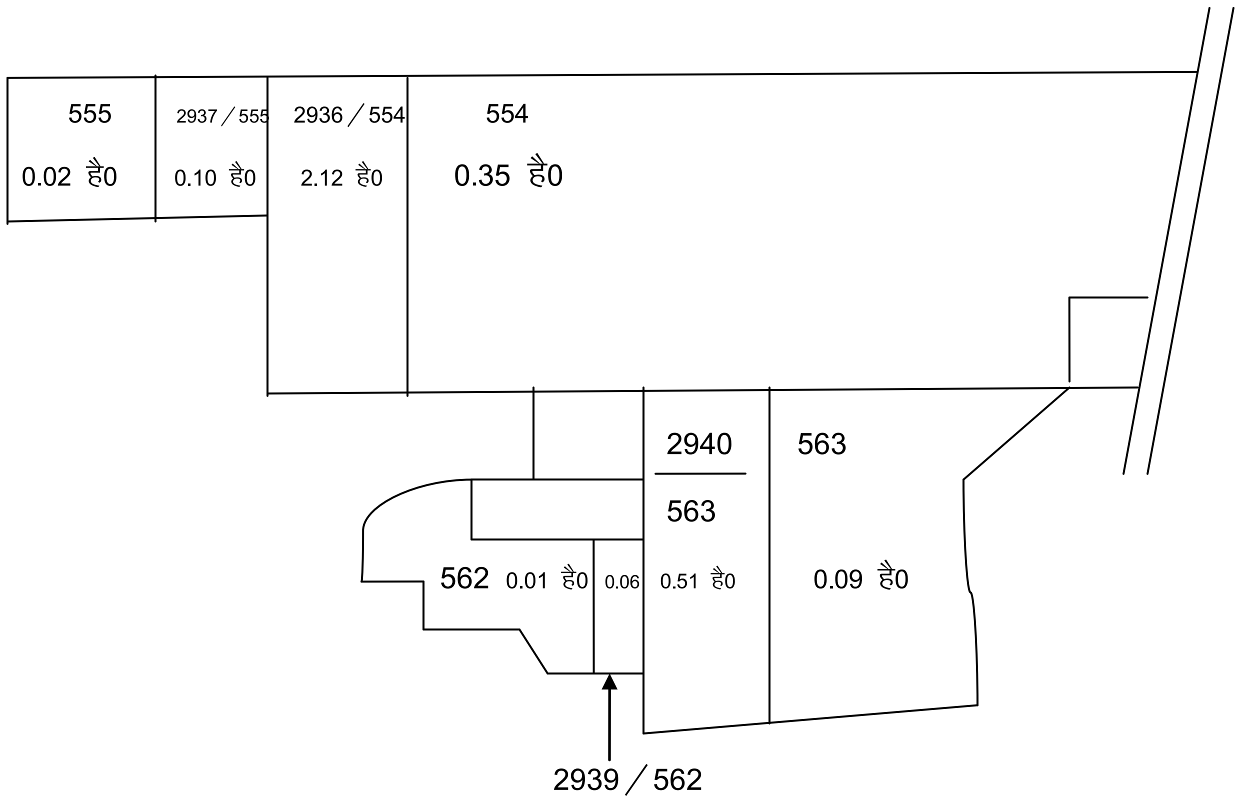

(Table no 2)

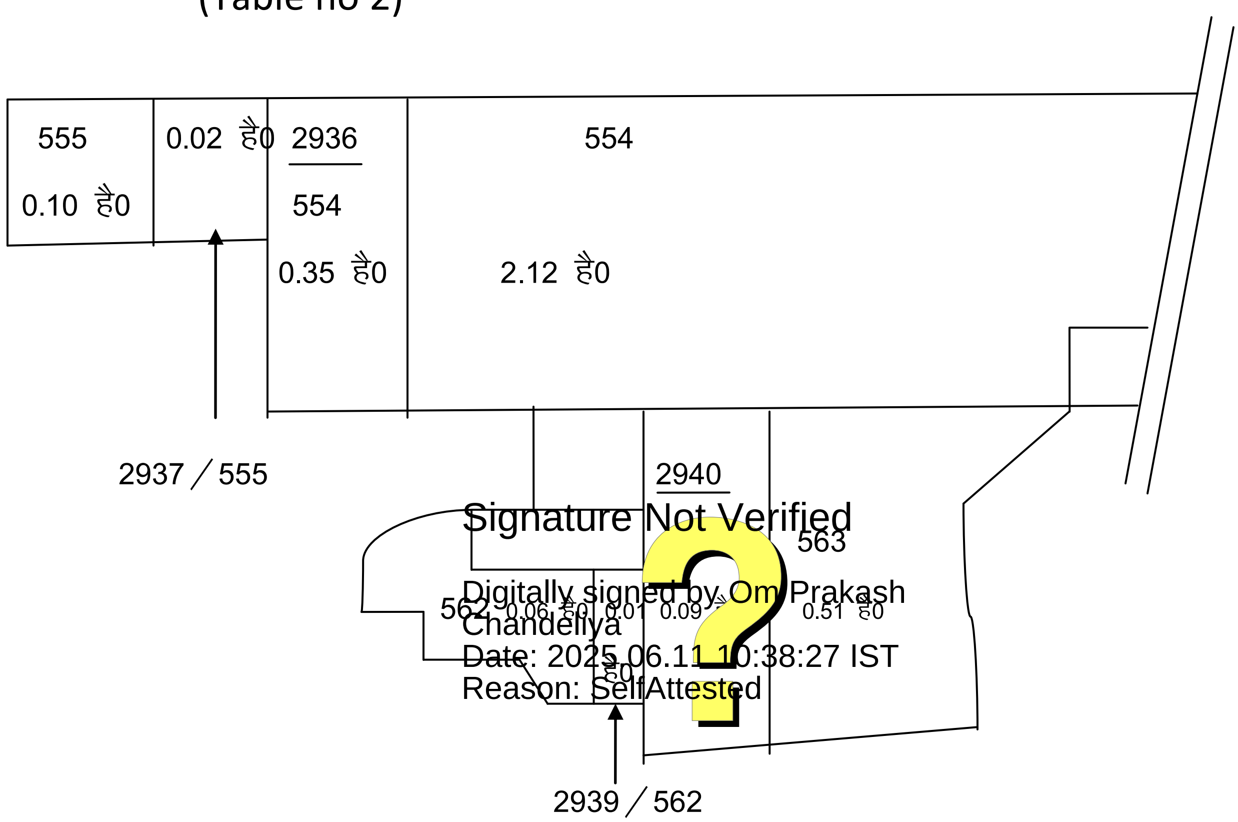

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है नियमानुसार टीम बनाकर प्रार्थीगण के Table no 2 अनुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested